919

[2018] 10 एस सी आर 919 ए

/

कर्नाटक राज्य बनाम।

श्रीनिवासा

(2013 की आपराधिक अपील संख्या 1496) 14 अगस्त, 2018

/

[आर**.** भानुमति और वाइन सारन**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860:s.302-फांसी के कारण हुई मौत-अभियोजन का मामला यह था कि आरोपी-पति और मृतक-पत्नी के बीच आरोपी-पति के अवैध संबंध के कारण झगड़ा होता था।2 – दुर्भाग्यपूर्ण दिन, मृतक को टेलीफोन तार से लटका हुआ पाया गया-ट्रायल न्यायालय ने आरोपी-पति को एस के अंतर्गत दोषी ठहराया।302 – उच्च न्यायालय ने डॉक्टर के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए आरोपी को इस प्रभाव से बरी कर दिया कि यह आत्महत्या का मामला था क्योंकि गर्दन पर बंधन के निशान नहीं पाए गए थे-बरी होने के खिलाफ राज्य की अपील-उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का दायरा-आयोजित:उच्च न्यायालय ने डॉक्टर के साक्ष्य को स्वीकार कर लिया-उच्च न्यायालय ने मौखिक और चिकित्सा साक्ष्य की सराहना की और आरोपी को बरी कर दिया-उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण प्रशंसनीय था-उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था।

/

/

/

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने**,**

अभिनिर्धारित किया **:**जब डॉक्टर ने राय दी कि आत्महत्या से इनकार नहीं किया जा सकता है और मृतक की मृत्यु आत्महत्या के कारण हो सकती है जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था**;** जब उच्च न्यायालय का एक दृष्टिकोण है जो एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है**,** तो अलग दृष्टिकोण लेने का कोई आधार नहीं है।बरी किए जाने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई ठोस कारण या ठोस आधार नहीं है।**[**पैरा **6] [921-**सी**-**डी**]**

/

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता :2013 की आपराधिक अपील No.1496

/

2004 की आपराधिक अपील संख्या 1198 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से 2004 की आपराधिक अपील संख्या 1200 सी/डब्ल्यू।

वी. एन. रघुपति, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

/

919

920

/

[2018] 10 एस सी आर।

टॉमी सेबेस्टियन, सीनियर। अधिवक्ता, एस. जे. अमित, डॉ. (श्रीमती) विपिन गुप्ता, अधिवक्ता। प्रत्यर्थियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. भानुमति, जे. 1.कर्नाटक राज्य की अपील भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत प्रतिवादी-अभियुक्त को बरी करने के खिलाफ है। 2.अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि ए-1 का कथित रूप से दूसरे आरोपी (मृत होने के बाद से) के साथ अवैध संबंध था।जिसके कारण ए-1 (प्रतिवादी) और मृतक राजश्री (पत्नी) और आरोपी नं. 1 पर मृतक की गला दबाकर हत्या करने का आरोप है।चिकित्सा साक्ष्य (पीडब्लू-7) और पीडब्लू-8 (मृतक के पिता) के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, निचली न्यायालय ने प्रतिवादी नं.1 भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत और उसे आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई।

/

/

3. जहाँ तक दूसरे आरोपी की बात है, निचली विचारण न्यायालय ने उसे भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 201 के अंतर्गत दोषी ठहराया और उसे तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। (चूंकि आरोपी नं. 2-पद्मावती की मृत्यु हो गई है, 2013 की आपराधिक अपील सं. 1497 अभियुक्त सं. 2-अदालत के दिनांक 03.05.2016 के आदेश के अनुसार पद्मावती को पहले ही समाप्त कर दिया गया है)।

/

4. ए-1 उनके घर की निचली मंजिल पर एक बिजली करघा चला रहा था और पहली मंजिल का उपयोग उनके आवास के लिए किया जाता था।दूसरा आरोपी बिजली के करघे में काम करता था और दूसरी मंजिल पर रहता था।पीडब्लू-8 और पीडब्लू-9 (मृतक के पिता और माता) ने ए-1 और ए-2 के अवैध संबंधों के बारे में बात की है और अवैध संबंधों के कारण ए-1 और मृतक-राजश्री के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता है।पीडब्लू-5 ने दरवाजा खोला और पाया कि मृतक टेलीफोन केबल के तार से लटका हुआ था।घटना की तारीख-05.01.2001 शाम लगभग 4:30 बजे सूचना देने वाले-P.W-8 (मृतक के पिता) को सूचना मिली कि मृतक ने आत्महत्या कर ली है।घटना की तारीख 05.01.2001 पर मृतक फांसी पर लटका हुआ मृत पाया गया था।चिकित्सा साक्ष्य और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, निचली विचारण न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।

/

/

/

5. उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से पोस्टमार्टम करने वाले पीडब्लू-7 (डॉक्टर) के साक्ष्य के आधार पर आरोपी को बरी कर दिया।क्रॉस जांच में, पीडब्लू-7 (डॉक्टर) ने कहा है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है क्योंकि गर्दन पर बंधन का निशान नहीं पाया गया था।उच्च न्यायालय ने विस्तार से पीडब्लू-7 के साक्ष्य का उल्लेख किया जिसने कहा कि बंधन ए

/

निशान प्रकृति में एंटी-मॉर्टम है और यदि मृत्यु गला घोंटने के कारण होती है और शरीर को लटकते हुए मुद्रा में रखा जाता है तो गर्दन के चारों ओर एक और बंधन के निशान की पूरी संभावना होती है।पी. एम. रिपोर्ट गर्दन के चारों ओर बंधन के निशान की उपस्थिति का खुलासा नहीं करती है।पीडब्लू-7 (डॉक्टर) के साक्ष्य के आधार पर, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि "चिकित्सा साक्ष्य निर्णायक रूप से यह स्थापित नहीं करता है कि यह हत्या की मौत का मामला है" और यह कि आरोपी संदेह के लाभ का हकदार है।

/

6. कर्नाटक राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने यद्यपि मृतक के माता-पिता पीडब्लू-8 और पीडब्लू-9 के साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दीं, हम प्रस्तुतियों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।जब डॉक्टर ने राय दी है कि आत्महत्या से इनकार नहीं किया जा सकता है और मृतक की मृत्यु आत्महत्या के कारण हो सकती है जिसे उच्च न्यायालय द्वारा

स्वीकार किया गया था; जब उच्च न्यायालय का एक दृष्टिकोण है जो एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है, तो हमें अलग दृष्टिकोण लेने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं मिलता है।मौखिक साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य की सराहना करने के बाद, उच्च न्यायालय ने आरोपी को बरी कर दिया। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई ठोस कारण या ठोस आधार नहीं मिलता है।

/

/

7. तदनुसार, अपील खारिज कर दी जाती है।

देविका गुजराल की अपील खारिज कर दी गई।

/

/

/

/